

राजस्थान विधान सभा

कार्य सलाहकार समिति

सोलहवां प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति की बैठक मंगलवार, दिनांक 22 मार्च, 2011 को मध्यान्ह पश्चात् 2.00 बजे माननीय अध्यक्ष के वैश्रम (चैम्बर) में हुई । समिति ने अपने पन्द्रहवें प्रतिवेदन में संशोधन करते हुए यह निर्णय लिया कि दिनांक 23 मार्च, 2011 को सदन में अग्रेत्तर लिये जाने वाले कार्य का बटवारा निम्न प्रकार किया जाय :-

बुधवार, दिनांक 23 मार्च, 2011

- 1- आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2011-2012 से संबंधित अनुदान की शेष मांगें मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर मतदान हेतु प्रस्तुत की जायेगी ।
 - 2- राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2011 का पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं पारण।
 - 3- राजस्थान वित्त विधेयक, 2011 पर विचार एवं पारण ।
 4. राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन विधेयक, 2011 ;
 5. राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2011;
 6. राजस्थान कृषि उपज मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011; एवं
 7. राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था (संशोधन) विधेयक, 2011;
 - 8- राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, 2011;
 - 9- राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2011;
 - 10- राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण (संशोधन) विधेयक, 2011;
 - 11- राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 2011; एवं
 - 12- राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2011;
- पर विचार एवं पारण ।

(दीपेन्द्र सिंह शेखावत)

पदेन सभापति

विधान सभा भवन,

जयपुर ।

दिनांक 22 मार्च, 2011

नोट :- 1. उपरोक्त कार्य के बटवारे में अध्यक्ष महोदय द्वारा आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।